राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 31.07.2015

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म से करने के संदर्भ में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में भामाशाह योजना से लाभ हस्तानांतरण माह अगस्त में समस्त राज्य में प्रारम्भ किया जाना है। इस क्रम में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लाभार्थी जिनका भामाशाह कार्ड जारी हो चुका है, को पैंशन का भुगतान भामाशाह प्लेटफॉर्म से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना है। अभी तक दस लाख पेंशनधारकों के भामाशाह कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिन्हें अगस्त माह में देय पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना है। इन पेन्शनधारको का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से नहीं किया जाए। जिलेवार लाभार्थियों का विस्तृत विवरण आपकी जानकारी हेतु संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त पेंशनधारकों का डेटा राजकॉम्प द्वारा तैयार किये गये सीडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा विभागीय डेटा से मिलान करने के लिए भी खोला जा चुका है एवं मिलान एवं सिडिंग की आवश्यक कार्यवाही जिला स्तर से की जा रही है।

उपरोक्त पेंशनधारकों के अगस्त माह की पेंशन भामाशाह कार्ड में दर्ज बैंक खाते में हस्तानांतरित करने के लिए निम्न कार्यवाही समयबद्ध रूप से 06 अगस्त 2015 तक किया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. जिले के सभी पेंशनधारकों जिनका रिकॉर्ड सिडिंग के लिए खोला जा चुका है के सम्बन्ध में मिलान / सिडिंग सम्बन्धित कार्यवाही पूरा करना- दिनांक 02.08.2015 तक।
2. उपरोक्त सभी पेंशनधारकों का भुगतान का माध्यम (Mode) पोस्टल ऑर्डर से बैंक खाते में परिवर्तित करना- दिनांक 02.08.2015 तक।
3. पेंशनधारकों के बैंक खाते में पैंशन राशि का हस्तानांतरण करना - दिनांक 05.08.2015 तक।
4. जिन पैंशनधारकों के खाते में पैंशन हस्तानांतरित की जा रही है उन सभी ग्राम पंचायतों पर बैंकिंग संवादकर्ता की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना- दिनांक 06.08.2015 तक।

भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ वितरण हेतु आपके जिले में चयनित पायलेट ब्लॉक के किसी भी लाभार्थी की पेन्शन इस माह से पोस्टल आर्डर के माध्यम से न दी जाकर, 15.08.2015 से पूर्व लाभार्थी का भामाशाह नामांकन सुनिश्चित करते हुए भामाशाह से जुडे बैंक खातें में हस्तांतरित की जाएगी।

उपरोक्त कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, वित एवं लेखा निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान सरकार। / उप कोषाधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक (भामाशाह)